संख्या-स्था-1-सामान्य स्थानान्तरण- वर्ष -2016-2017/ 627 /वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ ::: दिनॉक 24 ,मई , 2016

समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त सांख्यकीय अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त अपर सांख्यकीय अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

वर्ष 2016-17 के लिये शासनादेश संख्या-1/3/96-का-4-2016 दिनॉक 11-05-2015 द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या संख्या-स्था-1-सामान्य स्थानान्तरण- वर्ष -2016-2017/452 /वाणिज्य कर दिनांक 13.5.2016 के क्रम में तथा पूर्व वर्षो से प्रचलित विभागीय नीति के अनुसार निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारियों के स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा :-

1- उ0प्र0 शासन की स्थानान्तरण नीति के तहत वाणिज्य कर विभाग में समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारी जो अपने सेवा काल में किसी जनपद में कुल 6 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, को उक्त जिलों से स्थानान्तरित किया जायेगा। इसी प्रकार समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारी जो मण्डल में 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, उन्हें उक्त मण्डलों से स्थानान्तरित किया जायेगा। समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल में तैनात नहीं किया जायेगा। समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा।

2- वह सभी अधिकारी जिन्होंने सचलदल में दिनांक 31-03-2016 को एक वर्ष या एक स्थानान्तरण सत्र औरं वि0अनु0शा0 में दो स्थानान्तरण सत्र पूर्ण कर लिया है।

3- सचल दल से सचलदल अथवा वि0अनु0शा0 में एवं वि0अनु0शा0 से वि0अनु0शा0 अथवा सचल दल में तैनाती नहीं की जायेगी।

4- जो एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील), ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) ज्वाइंट कमिश्नर (कारपोरेट सेल), ज्वाइंट कमिश्नर (टैक्स आडिट) डिप्टी कमिश्नर (क0नि0), असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0) दिनांक 31-03-2016 को अपने पद पर तीन वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें अन्य पद पर तैनाती हेतु विचार किया जायेगा।

5- मुख्यालय, उच्च न्यायालय कार्य, सर्वोच्च न्यायालय कार्य- गाजियाबाद, प्रशिक्षण केन्द्र, डिप्टी कमिश्नर(प्रशासन), डिप्टी कमिश्नर(क0नि0/ कर वसूली), डिप्टी कमिश्नर राज्य प्रतिनिधि के पदों पर एक वर्ष से तैनात अधिकारी यदि अन्य पदों पर तैनाती के इच्छुक हैं तो वे अपना विकल्प तदानुसार प्रस्तुत करेंगे।

6- ऐसे समस्त ज्वाइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एवं असिस्टेंट कमिश्नर जो पूर्ण सेवा काल में कभी मुख्यालय , हाई कोर्ट वर्क्स, राज्य प्रतिनिधि कर वसूली अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर प्रशासन के पदों पर तैनात नहीं रहे हैं, कार्यात्मक आवश्यकतानुसार उनकी तैनाती इन पदों पर करने पर विचार किया जायेगा

7- किसी अधिकारी के व्यक्तिगत कारण जैसे- चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा के आधार पर स्थान रिक्त होने अथवा दूसरे अधिकारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण / समायोजन किया जा सकेगा बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो। इस श्रेणी के अधिकारी अपने विकल्प के साथ सम्पूर्ण तथ्य साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करेंगे।

8- मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर करने का प्रयास किया जायेगा जहॉं चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।

9- विकलांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक जिनके आश्रित परिवारीजन विकलागता से प्रभावित हो को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाएगा। ऐसे विकलांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किए जायेगें। विकलांग कार्मिका के द्वारा अनुरोध किए जाने पर पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।

10- प्रशासनिक आधार पर अधिकारियों का स्थानान्तरण तथा शासकीय कार्यहित को दृष्टिगत रखते हुए उपर्युक्त मापदण्डों में विचलन किया जा सकता है। संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदन शील पदों पर कदापि नहीं की जायेगी।

11- विकल्प के अनुरूप जनपद में अधिकारियों की तैनाती का यथासम्भव प्रयास किया जायेगा, परन्तु उसके फलस्वरूप विकल्प के अनुसार जनपद में तैनात किये जाने का कोई अधिकार किसी अधिकारी को प्राप्त नहीं होगा एवं इस आधार पर कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।

12- स्थानान्तरण के सम्बन्ध में वाह्य अथवा राजनैतिक दबाव डलवाने वाले अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। पद विशेष की सिफारिश अथवा इस हेतु वाह्य एवं राजनैतिक दबाव डलवाने वाले अधिकारियों की सत्यनिष्ठा संदिग्ध मानते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

13- यदि पति-पत्नी दोनो सरकारी सेवा में हो, तो उन्हें यथासम्भव एक ही जनपद/नगर / स्थान पर तैनाती करने हेतु विचार किया जा सकता है।

शासन द्वारा स्थानान्तरण नीति में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उक्त नीतिगत निर्देश तदनुसार संशोधित माने जाएंगे तथा आवश्यकता अनुसार अधिकारी अपना संशोधित विकल्प प्रेषित करेंगे। कृपया तदनुसार सभी सम्बन्धितों को सूचित करते हुए उनसे दिनांक 30-05-16 तक आनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश के आदेशों के क्रम में उनसे प्राप्त अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

24/05/16

(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

<u>पृष्ठॉकन पत्र संख्या व दिनॉक ::: उक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय लखनऊ।
2- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) कर प्रबन्धन एवं शोध संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
3- ज्वाइण्ट कमिश्नर (सर्वोच्च/ उच्च न्या0कार्य) वाणिज्य कर, गाजियाबाद / लखनऊ / इलाहाबाद।
4- रजिस्ट्रार, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- असिस्टेण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वार्षिक स्थानान्तरण नीति विभागीय वेबसादट में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6- मैनुअल / सेण्ट्रल रिकार्ड, वाणिज्य कर मुख्यालय।
7- स्था-1/ स्था-2 पटल, मुख्यालय को 10 अतिरिक्त प्रतियॉं।

24.5.2016

(सुनील कुमार राय)
ज्वाइण्ट कमिश्नर, (स्थापना),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।